पे.सं.

168
19.3.2021

FORM NO – 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

प्रार्थी/परिवादी — **बनाम** — **प्रतिवादी/अभियुक्त**

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधि.
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधि.
सिरोही

धनपत माली पुत्र भूराराम माली,
जाति– माली, निवासी– गली नम्बर 2,
महाकाली नगर, संजीवनी हॉस्पिटल के
पास, सिरोही, जिला– सिरोही
(खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक)
फर्म: मातेश्वरी जनरल स्टोर, शॉप नं. 3
शांतिनगर, सिरोही, जिला– सिरोही

किस्म मुकदमा – **धारा 26(2)(ii) एवं 51**
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 — **प्रकरण संख्या: 24/2021**

तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
19.3.2021	श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii) एवं 51 के तहत प्रतिवादी अभियुक्त धनपत माली के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 5.4.2012 के द्वारा जिलें में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अतः प्रस्तुत न्याय निर्णय आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रकरण में आज दिनांक 19.3.2021 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी धनपत माली उपस्थित हुये। प्रतिवादी धनपत माली को नोटिस एवं आरोप पढ़कर सुनाया गया एवं न्याय निर्णयन आवेदन पत्र की एक प्रति दिलवाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी धनपत माली ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी सिरोही श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 02.12.2020 को जिस अचार राम बंधू का नमूना जांच के लिये लिया था जो जांच रिपोर्ट में सब स्टेंडर्स पाया गया है। मैनें पैक अवस्था में ही नमूना दिया था। अचार का बिल बाद में आया था जिसके कारण अचार एवं बिल का मिलान सही समय पर नही कर पाया। भविष्य में इस प्रकार की गलती नही होगी। यह मेरी प्रथम गलती है। मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ, भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं करूंगा, कृपया मुझे इस प्रकरण में क्षमा किया जावे। लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:12:21 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.24/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल मे जारी हुए

प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा उक्तानुसार जवाब प्रस्तुत कर जुर्म/गलती स्वीकार कर ली जाने से प्रकरण में दोनों पक्षों की आज ही बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी ने अमानक खाद्य पदार्थ मिक्स्ड अचार (राम बंधू ब्राण्ड) का विक्रय किया है, इसलिये प्रतिवादी पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना किया जावे। जबकि प्रतिवादी ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 02.12.2020 को समय 1.15 पी.एम. पर फर्म मातेश्वरी जनरल स्टोर, शॉप नं.3, शांतिनगर, सिरोही, जिला–सिरोही पर गये। वहां पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता के हैसियत से प्रतिवादी धनपत माली पुत्र भुराराम काली, जाति–माली, निवासी– गली नं. 2, महाकाली नगर, संजीवनी हॉस्पिटल के पास, सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मातेश्वरी जनरल स्टोर, शॉप नं. 3, शांतिनगर, सिरोही, जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को मिक्स्ड अचार (रामबंधू ब्राण्ड) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ मिक्स्ड अचार (रामबंधू ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए दुकान में अलमारी की रैक में बिक्री हेतु मौजूद मिक्स्ड अचार (रामबंधू ब्राण्ड) के 10 पैक्ड जारी (प्रत्येक 200 ग्राम) में से मिक्स्ड अचार (राम बंधू) के 4 पैक्ड जार (प्रत्येक 200 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु मौके पर उपस्थित गवाह के समक्ष नियमानुसार कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ मिक्स्ड अचार (रामबंधू ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1301 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1012/Act/2020/1010 दिनांक 29.12.2020 के अनुसार अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि फर्म [illegible] 3, शांतिनगर, सिरोही, जिला– सिरोही में खाद्य [illegible] धनपत माली ने अमानक (Sub-[illegible] (रामबंधू ब्राण्ड) का विक्र[illegible] खाद्य सु[illegible] एवं मानक अधिनियम, 2006 की धार[illegible] का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के त[illegible] जुर्माने योग्य अपराध है।

.......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:12:21 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.24/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल मे जारी हुए
	अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत धनपत माली पुत्र भूराराम माली, जाति– माली, निवासी– गली नं. 2, महाकाली नगर, संजीवनी हॉस्पिटल के पास, सिरोही, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म मातेश्वरी जनरल स्टोर, शॉप नं.3, शांतिनगर, सिरोही, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 3,000/– (अक्षरे रुपये तीन हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है.। साथ ही, प्रतिवादी धनपत माली को आदेशित किया जाता है कि उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 10 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी आयन्दा दिनांक 07.4.2021 को पेश हो। 19/3/2021 (गितेश श्री मालवीया) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिरोही	

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:12:21 IST
Reason: SelfAttested